फर्द अहकाम

2022/260

भूरी देवी बनाम तहसीलदार वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या 100 /2022 प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/8/22	प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री मदनलाल जाट द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 15/9/22 को पेश हों । उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	15/9/22	अभि. ... उपस्थित/अभिभाषक सघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ... हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 21/9/22 को पेश हो। (रीडर)	
	21/9/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना। वकील प्रार्थी ने अपनी बहन के प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थिया का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। इसके पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है कि खातावली खाता नं० 247 जमाबन्दी (6-2014-15) में दर्ज नाम मोहनी पुत्री हरदेव जाति चोखाराम, खाता नं० 245 में दर्ज नाम मोहरी पुत्री हरदेव तथा खाता नं० 517 में दर्ज नाम अंपशी पुत्री हरदेव जाति चोखाराम के स्थान भूरीदेवी उर्फ मोहनीदेवी उर्फ मोहरी उर्फ अंपशीदेवी पुत्री हरदेव जाति चोखाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो। पत्रावली दैनन्दिन टोकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	